संख्या-26/2016/482/नौ-5-16-83सा/2009टीसी

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय परिवहन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 22 फरवरी, 2016

विषय:- डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड में उपलब्ध/प्रावधानित धनराशि से विभिन्न कार्यों हेतु धनराशि के व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समर्पित नगरीय परिवहन निधि (डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड) प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 19.01.2016 तथा तत्क्रम में पत्र संख्या-12एमएस(2)/नौ-5-2016-83सा/2009टीसी, दिनांक 15.02.2016 को निर्गत कार्यवृत्त द्वारा डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड से विभिन्न मदों में कुल रू0 15361.00 लाख (रू0 एक अरब तिरपन करोड़ इक्सठ लाख मात्र) की धनराशि नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखे जाने की संस्तुति की गई है। समिति द्वारा संस्तुत उक्त धनराशि को एतद्द्वारा आपके निर्वतन पर रखे जाने व निधि के खाते में रक्षित धनराशि से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	एसपीवी/कार्य का नाम	सन्दर्भ/विवरण	स्वीकृत धनराशि
1	विभिन्न सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड हेतु	घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु	4500.00
2	विभिन्न क्रिया-कलापों और अध्ययन के लिए परामर्शदाताओं को आबद्ध करने में अर्न्तग्रस्त व्यय	-	43.00
3	बस बेड़े की वृद्धि करना-24शीटर बस सेवा	-	5407.00
4	प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी/सम्मेलन	-	582.00
5	नगर निगम, लखनऊ के ट्रैफिक पार्क के उच्चीकरण हेतु	-	300.00
6	लखनऊ नगर के नगरीय बस स्टाफ एवं बस स्टेशनों को ग्रीन लखनऊ के आधार पर उच्चीकृत करने हेतु	-	1000.00
7	नगरीय परिवहन निदेशालय के अन्य व्ययों हेतु	-	113.00
8	प्रवर्तन/ट्रैफिक नियन्त्रण दल हेतु	-	395.00
9	हेल्पलाइन स्थापित करने-नगर बस हेल्प लाइन सेवा	-	21.00
10	आईटीएसएस प्रणाली लागू करने हेतु	-	3000.00
		योग	15361.00

(1) शासनादेश संख्या-95/2015/2089/नौ-5-15-83सा/2009टीसी, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम के पीएलए में रक्षित धनराशि रू0 15454.85 लाख (रू0 एक अरब चौव्वन करोड़ चौव्वन लाख पचासी हजार मात्र) को आहरित कर निधि के लिए राष्ट्रीकृत बैंक में खोले गये खाते में रखा जायेगा तथा डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुत धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार निधि के खाते में रखी धनराशि से आहरित कर किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(3) कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-क-नि-5-1149/11-2013-312(268)/2001, दिनांक 13.09.2013 में प्रावधानित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0/नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत निहित उददेश्यों के तहत् निर्गत की जा रही है। अतः सन्दर्भित नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सम्बन्धित सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड/नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यदि सम्बन्धित सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों में बचत होती है, तो बचत की धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों में शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(7) निधि से स्वीकृत धनराशि का लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव रखा जायेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-26/2016/482 (1)/नौ-5-16-83सा/2009टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं वाराणसी।
3- जिलाधिकारी, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं वाराणसी।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं वाराणसी।
7- निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- सहायक निदेशक (लेखा)/वित्त नियंत्रक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
13- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
15- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।